ORIGINAL RESEARCH PAPER

Education

KEY WORDS:

राजस्थान में मिड–डे–मिल योजना (परिचय,स्थिति एवं मूल्यांकन)

पूनम बाला (पी.एच.डी. शोधार्थी) शिक्षा संकाय, टांटिया विश्वविद्यालय,श्रीगंगानगर, (राजस्थान)

डा. रामप्रताप जाँगू शिक्षा संकाय, टांटिया विश्वविद्यालय,श्रीगंगानगर, (राजस्थान)

मिड–डे–मील योजना का परिचय

मिड–डे–मील का अर्थ है–राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम अर्थात् विद्यालयों के मध्यान्तर में विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित है। भारत सरकार द्वारा यह योजना 25 अगस्त, 1995 को लागू की गई थी। जिसके अन्तर्गत 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी/परिषदीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रतिमाह 03 किलोग्राम गेहूँ अथवा चावल दिये जाने की व्यवस्था को थी किन्तु योजना के अन्तर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्रों को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बट जाता था। इससे छात्र को वांछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे।

मिड–डे–मील योजना का आरम्भ

इस योजना का आरम्भ 25 अगस्त, 1995 से हुआ था। शुरुआत में 3 किलोग्राम गेहूँ–चावल दिये जाते थे लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 1 सितम्बर, 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने की योजना आरम्भ कर दी गयी। योजना की सफलता की दृष्टि रखते हुए अक्टूबर, 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अप्रैल, 2008 से शेष ब्लॉकों एवं नगर क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–2008 में प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1. 83 करोड़ बच्चे तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 31 लाख बच्चे आच्छादित थे।

मिड–डे–मील की राजस्थान में स्थिति

वर्तमान में इस योजना से प्रदेश के 1,16,107 प्राथमिक विद्यालयों एवं 53,499 उच्च प्राथमिक विद्यालय आच्छादित हैं। इन विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत 1,42,55,482 विद्यार्थी एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 60,87,620 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्तमान में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत तक पहुँचने में विफल रहा है। विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले राज्यों में राजस्थान 15वें स्थान पर है। रिपोर्ट एक के अनुसार राजस्थान में 66 फीसदी विद्यार्थियों को ही मिड–डे–मिल उपलब्ध हो पाता है। जबकि सन् 2012–13 में मिड–डे–मील उपलब्ध करवाने का राष्ट्रीय औसत 70 फीसदी रहा है। विद्यालयों का निरीक्षण करने में भी राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इस मामले में राजस्थान 21वें स्थान पर है। राजस्थान में कुछ जिलों में मिड–डे–मील की व्यवस्था बहुत खराब है। राज्य के 14 जिले मिड–डे–मील उपलब्ध करवाने को लेकर अधिक समस्याओं से ग्रस्त हैं।

लेकिन इन समस्याओं की स्थिति पर ध्यान देकर इन्हें सुधारा जा सकता है। जैसे–

- मिड–डे–मील को सुचारू रूप से संचालित किया जाये।
- अधिकारियों को निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना चाहिए।
- मिड–डे–मील कार्यक्रम को मॉनिटरिंग व्यवस्था करके रखा जाये।
- मिड–डे–मील में खाना उपलब्ध होने से बच्चे–बच्चे का पढ़ाई की तरफ अधिक ध्यान जायेगा।
- पौष्टिक पोषाहार से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिससे पढ़ाई में मन लगेगा।
- गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी।
- विद्यालयों में नामांकन बढ़ेगा।
- पौष्टिक पोषाहार से उनको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
- मिड–डे–मील कार्यक्रम में खाना उपलब्ध होने से बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान जायेगा।

भोजन सम्बन्धित कार्य

इस योजनान्तर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र–छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूँ से बने भोज्य पदार्थ किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस एवं उच्च प्राथमिक स्तर 150 ग्राम प्रति छात्र दिवस की दर से खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत में से सब्जी, तेल, मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है।

भोजन को तैयार करने एवं अन्य सामग्रियों के व्यवस्था हेतु वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर रु. 3.11 प्रति छात्र दिवस (जिसमें रु. 0.78 राज्यांश है) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर रु 4.65 प्रति छात्र प्रति दिवस (जिसमें रु. 1.16 राज्यांश है।) परिवर्तन लागत के रूप में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में कम–से–कम 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम–से–कम 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चाहिए। परिवर्धित पोषक मानक के अनुसार मेनू (Menu) में व्यापक परिवर्तन किया गया है तथा इसका व्यापक प्रसार–प्रचार किया गया है।

मॉनिटरिंग एजेंसी/व्यवस्था

मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात् भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों/वार्ड सभासदों की देखरेख में किया जा रहा है और मिड–डे–मील की व्यवस्था में सम्प्रदाय के लोगों का शामिल होना बहुत जरूरी बताया है। इसके तहत् बच्चों के अभिभावकों की समिति बननी चाहिए इसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी कहते हैं। इसे स्कूल में बनने वाले भोजन और वहाँ हो रही पढ़ाई की निगरानी का अधिकार होता है। यह अध्यापकों को सुझाव दे सकती है। नवीन मेनू (Menu) को विद्यालयों की दीवारों पर 6´×4´ साइज में पेंज कराया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे एवं परोसा जा रहा भोजन मेनू के अनुसार है या नहीं। यह सर्वविदित रह सके परिवर्तन लागत के मद में प्राप्त धन बंटन को ग्राम निधि के पृथक् बैंक खाते में रखे जाने की व्यवस्था का निरुपण ताकि व्यय का सही लेखा–जोखा रखा जा सके। स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संचालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः स्कूल के प्रधानाध्यापक का होता है। स्कूल में नियमित रूप में भोजन संचालन हेतु अनाज ईंधन तेल, दाल, मसाले आदि की आवश्यकता होती है। इसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक के पास होती है उनका पूरा ध्यान भोजन व्यवस्था बनाने में ही लग जाता है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संचालन के लिए कम–से–कम एक प्रशिक्षित महिला एवं एक सहायिका की जरूरत होती है।

मिड–डे–मील कार्यक्रम के लाभ

- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम गरीब परिवारों के बच्चों की दैनिक उपस्थिति को बढ़ावा देने में सहायक हुआ है।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जाति भेदभाव को समाप्त करने तथा स्कूली बच्चों में समानता की भावना को बढ़ाने का पुनीत कार्य भी कर रहा है। प्रायः 6 से 12 वर्ष तक (बाल्यकाल) जीवन की महत्त्वपूर्ण आयु होती है जिसमें बालक अपनी सामाजिक पहचान व सामाजिक स्थिति बनाने के लिए जागरूक होता है।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बालकों को एक रूढ़िगत विचारधारा विहीन भयमुक्त वातावरण प्रदान करता है जो बालकों में सामाजिक भेदभाव ऊँच–नीच, जाति बंधन जैसी बुराईयों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम द्वारा छात्रों को प्रतिदिन नियमित मात्रा में पौष्टिक भोजन दिया जाता है जिसमें संतुलित भोजन के वे सभी तत्व मौजूद रहते हैं जो बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त फल आदि देने का प्रावधान भी इस कार्यक्रम में किया गया है।
- ऐसा देखा गया है कि विद्यालयों में भोजन मिलने से बच्चे खुश रहते हैं ऐसा इसलिए ही नहीं कि वे भूखे होते हैं बल्कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में खाना–खाने को मिलता है प्रत्येक दिन साथ–साथ बैठने व भोजन करने से बालक समूह के महत्व को समझने लगते हैं जो उनमें "मैं भावना" के बदले "हम भावना" का विकास करने तथा व्यक्तित्व विकास में सहायता प्रदान करता है।
- अक्षय पात्र योजना से बीकानेर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अच्छा भोजन मिलता है। जिससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
- अक्षयपात्र योजना से विद्यालयों में शिक्षकों के समय की बचत होती है। जिससे बच्चों के शिक्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

मिड–डे–मील कार्यक्रम की गुणवत्ता व स्वच्छता

विद्यालय स्तरीय पर्यवेक्षण समिति का यह दायित्व होता है कि विद्यार्थियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध हो भोजन तैयार करने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली स्थानीय सामग्री जैसे गुड़, तेल आदि अच्छी क्वालिटी को हो भोजन पकाने में प्रयोग लिया जाने वाला पानी भी पेय जल के स्रोत से प्राप्त किया जाना चाहिए भोजन पकाने में काम लिये जाने वाले बर्तन भी अच्छी तरह से साफ किये जाते हो एवं उनकी सफाई का पूर्ण ख्याल रखा जाये जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर ना पड़े।

मिड–डे–मील कार्यक्रम के द्वारा अन्य शैक्षणिक बिन्दुओं पर जोर

मिड–डे–मील कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन उपलब्ध कराने का कार्य विद्यालय के अध्यापकों की उपस्थिति में किया जाता है अतः सामान्य स्वीकृति से जुड़ी निम्न बातों की और छात्रों को उचित निर्देश समय पूर्व दी जा सकती है।

1. खाना खाने से पहले हाथ धोना।
2. नाखून इत्यादि कटे हुए होना।
3. खाने के बर्तन साफ रखना।
4. खाना खाने के बाद बर्तन हाथ आदि को स्वच्छ रखना।
5. खाना धीरे–धीरे पूर्ण रूप से चबा कर खाने के लिए समझाना।
6. विकलांग एवं असहाय बच्चों की सहायता के लिए अन्य छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
7. सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाने से उनमें हीनता की भावना समाप्त होती है।
8. जिन क्षेत्रों में जात–पात, ऊँच–नीच, अमीरी–गरीबी की प्रवृत्ति ज्यादा है वहाँ विशेष रूप से उच्च वर्ग के साथ निम्न–मध्यम वर्ग के बच्चों को संयुक्त रूप से बैठाया जाना चाहिए।
9. बच्चों को समानता, सहयोग व अनुशासन की जानकारी पूर्ण रूप से देना।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संचालन में आने वाली कठिनाईयाँ व समाधान

1. स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संचालन का उत्तरदायित्व मुख्यतः स्कूल के प्रधानाध्यापक पर होता है। स्कूल में नियमित रूप में भोजन संचालन करने हेतु अनाज ईंधन तेल, दाल, मसाले आदि की आवश्यकता होती इसकी जिम्मेदारी भी प्रधानाध्यापक के पास होती है। उनका पूरा ध्यान भोजन व्यवस्था बनाने में ही लग जाता है जिससे वे छात्रों को शिक्षा की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाते है।
2. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के संचालन के लिए कम–से–कम एक प्रशिक्षित महिला एवं एक सहायिका की सिफारिश की गई है। परन्तु अधिकतर स्कूलों में कए भोजन मात्रा के भरोसे ही कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा हैं उनके साथ सहायता का काम (पानी, खाना, सफाई करना आदि) स्कूल के छात्र–छात्राएँ करते हैं। परिणाम स्वरूप शिक्षा व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः भोजन मात्रा के साथ अनिवार्य रूप से एक सहायिका की व्यवस्था की जानी आवश्यक होती है।
3. अनेकों ग्रामीण स्कूलों में भोजन स्कूल प्रांगण या बरामदे में ही बनता है जिससे अधिकांश छात्रों का ध्यान पढ़ने की बजाय खाना बनाने व कुकर की सीटियों की तरफ ही जाता है। अतः उचित होगा कि इन स्कूलों को चिंहित कर यहाँ किचन शेड की उपर्युक्त व्यवस्था की जाए।
4. उच्चाधिकारियों की लापरवाही के कारण कनवर्जन चार्ज स्कूल प्राध्यापक को समय पर नहीं मिल पाता है। जिससे समस्त भोजन व्यवस्था व भोजन माता का मासिक वेतन प्रधानाध्यापक को अपनी जेब से देना पड़ता है अतः यह ध्यान होगा कि पैसा उचित समय पर पहुँचे।
5. स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता के निर्धारण व जाँच के लिए जिस विशेषज्ञ दल का गठन किया जाता है। यह तो मानो कागजी कार्यवाही ही प्रतीत होती है। स्कूलों में क्या बन रहा है कितना पौष्टिक है। साफ–सफाई की व्यवस्था कैसी है आदि जानकारी प्राप्त करने हेतु इस विशेषज्ञ दल को पूर्ण उत्तरदायी माना जाना चाहिए तथा सरकार द्वारा भी इन पर निगरानी बनायी रखी जानी चाहिए।
6. हम आये दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि मिड–डे–मील कार्यक्रम के खाने में कीड़े, छीपकली इत्यादि गिरने से बच्चों की हालत खराब हो जाती है कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। अतः खाना बनाते समय साफ–सफाई व रखरखाव का ध्यान रखा जाये।

मूल्यांकन

निःसन्देह ही सरकार द्वारा गरीबों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा की ओर आकर्षित करने का यह नवीन प्रयोग है जो यह साबित भी बनता है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा तथा शैक्षिक अवसरों में समानता प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। वास्तव में मध्याह्न भोजन योजना ग्रामीण तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास में यह निर्णायक की भूमिका निभा रहा हैं समय रहते ही हमें इस योजना के संचालन में आने वाली कमियों को दूर कर इसके सफल कार्यान्वयन पर ध्यान देना होगा साथ ही इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना होगा। तभी मध्याह्न कार्यक्रम के उद्देश्य सफलतापूर्वक हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मिड डे मील कार्यक्रम (दिशा निर्देश) – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान,बीकानेर राजस्थान सरकार।
2. नई दिशा (2016) – राष्टीय शैक्षिक मासिक पत्रिका 28 फरवरी 2016
3. पुर्गिस, वी.आर. ''भारत में नई शिक्षा'', द सोसाइटी पब्लिकेशन्स, अम्बाला केंट

Websites -

www.middaymeal.com
http://www.akshayapatra.org
http://jivahimsa.com/2009/04/24
http://paniit2009.org/progrm/spekers